

कार्यकारी सार

लोहा एवं इस्पात उद्योग अत्यधिक प्रदूषक तथा संसाधन गहन उद्योग है। चूंकि यह कोयला, लौह—अयस्क आदि जैसे प्राकृतिक संसाधनों का कच्ची सामग्री के रूप में भारी मात्रा में उपभोग करता है, अतः इसका पर्यावरण सुरक्षा तथा परिधीय विकास के प्रति उत्तरदायित्व बनता है। लाभ कमाने वाली कम्पनियां होने के कारण सेल एवं आरआई एनएल के पास इन उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं।

इन कम्पनियों की निष्पादन लेखापरीक्षा इस बात का आकलन करने के लिए की गई थी कि क्या वे पर्यावरणीय सुरक्षा, अपने कर्मचारियों की सुरक्षा एवं सामाजिक विकास के प्रति अपने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) का निर्वाह प्रभावी ढंग से तथा दक्षतापूर्वक कर रहे थे।

सीएसआर नीति ढांचा

सेल की एक सीएसआर नीति है, तथापि, यह व्यापक नहीं थी क्योंकि इसमें आरआईएनएल की तरह सीएसआर कार्यकलापों के उद्देश्य, कार्यक्षमता, नीति एवं फ़ोकस के क्षेत्र शामिल नहीं थे। जबकि कम्पनियां अपने वितरण—योग्य लाभ का दो प्रतिशत सीएसआर कार्यकलापों के लिए प्रदान कर रही थी, परन्तु उसे एक “पृथक् निधि” को अन्तरित नहीं किया गया था जिसके कारण अव्ययित निधियां वर्ष के अन्त में व्यपगत हो गई। वास्तव में आरआईएनएल 2006–07 से 2009–10 के दौरान उसके द्वारा प्रदत्त केवल 45 प्रतिशत बजट का ही उपयोग कर पाई थी, जबकि सेल ने बजट का उपयोग कर लिया था।

पर्यावरणीय उत्तरदायित्व

सेल एवं आरआईएनएल, पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए अपने विभिन्न संयंत्रों एवं इकाईयों पर अपने पर्यावरणीय मूल्यांकन और उसमें सतत सुधार के लिए पर्यावरण प्रबंधन प्रणालियां (ईएमएस) कार्यान्वित कर रही थी। ईएमएस प्रमाणन अर्थात् आईएसओ 14001, आरआईएनएल तथा कुल पांच¹ संयंत्रों में से सेल के केवल एक² संयंत्र को प्राधिकृत किया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के अनुसार, लोहा एवं इस्पात उद्योग कुल विश्व कार्बन डायक्साईड (सीओ₂) उत्सर्जनों का लगभग 4–5 प्रतिशत है। औसत के आधार पर विश्व में उत्पादित इस्पात के प्रत्येक टन के लिए 1.9 टन सीओ₂ का उत्सर्जन होता है। 2008–09 के दौरान टाटा स्टील द्वारा उत्सर्जित औसत 2.09 टी/टीसीएस³ सीओ₂ के प्रति सेल एवं आरआईएनएल द्वारा उत्सर्जित औसत सीओ₂ क्रमशः 2.99 टी/टीसीएस और 3.18 टी/टीसीएस थी। सेल एवं आरआईएनएल ने सीओ₂ को कम करने के लिए कोई लक्ष्य नियत नहीं किए हैं जबकि टाटा स्टील ने सीओ₂ में कमी का लक्ष्य 2012 तक 1.7 टन प्रतिटन से कम नियत किया था। यह भी देखा गया था कि सेल और आरआईएनएल ने सीओ₂ के अपने अधिक उत्सर्जन के लिए कारणों का भी विश्लेषण नहीं किया था।

¹ झारखण्ड में बोकारो इस्पात संयंत्र (बीएसएल), छत्तीसगढ़ में मिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी), उड़ीसा में राजकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी), पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डीएसपी) तथा इसके इस्पात संयंत्र (आईएसपी)।

² भिलाई इस्पात संयंत्र।

³ कच्चे इस्पात का टन प्रति टन

विश्व के ऊर्जा उपभोग के 4.5 से 5.5 गीगा केलॉरीस (जी.केल/टीसीएस) के औसत के प्रति उपभोग 2009–10 के दौरान सेल में 6.72 जी.केल/टीसीएस, आरआईएनएल में 6.84 जी.केल/टीसीएस तथा टाटा स्टील में 6.17 जी.केल/टीसीएस था।

एक टन कच्चे इस्पात के उत्पादन हेतु प्रयुक्त कच्ची सामग्री के लिए विश्व औसत 2.6 टन है। सेल में कच्ची सामग्री का उपभोग 3.26 टी/टीसीएस तथा 3.38 टी/टीसीएस के बीच और आरआईएनएल में 3.04 टी/टीसीएस तथा 3.10 टी/टीसीएस के बीच था।

सेल (आईएसपी को छोड़कर) एवं आरआईएनएल में पानी का उपभोग निर्धारित प्रतिमान के अन्दर ही था। आरएसपीएम⁴ स्तर जो श्वसन रोगों के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है, सेल के तीन संयंत्रों और आरआईएनएल में प्रतिमानों से अधिक था जबकि एसपीएम⁵ स्तर निर्धारित प्रतिमान के अन्दर था।

वर्ष 2009–10 के दौरान सेल में ठोस अपशिष्ट (धमन भट्टी (बीएफ) एवं स्टील मेल्टिंग शॉप (एसएमएस) (लौह—चून) का उपयोग क्रमशः 82.02 प्रतिशत तथा 75.25 प्रतिशत था। आरआईएनएल में वर्ष 2009–10 के दौरान एसएमएस लौह—चून का उपयोग 54 प्रतिशत था। सेल के दो⁶ संयंत्रों में खतरनाक अपशिष्ट के निपटान हेतु समुचित व्यवस्था नहीं थी, यद्यपि सेल एवं आरआईएनएल के अन्य संयंत्रों में उसके निपटान हेतु समुचित व्यवस्था थी।

पेड़, सीओ₂ गैस का एक प्राकृतिक सिंक हैं। औसतन, एक पेड़ 6 कि.ग्रा./वर्ष की दर पर सीओ₂ का अवशोषण कर सकता है तथा सेल एवं आरआईएनएल प्रति वर्ष क्रमशः 40 मिलियन टन तथा 10 मिलियन टन सीओ₂ का उत्सर्जन करते हैं। अतः सेल द्वारा सृजित सीओ₂ के अवशोषण हेतु 6700 मिलियन पेड़ और आरआईएनएल द्वारा सृजित सीओ₂ के अवशोषण हेतु 1645 मिलियन पेड़ आवश्यक हैं जिनके प्रति सेल में 14.32 मिलियन पेड़ तथा आरआईएनएल में 4.59 मिलियन पेड़ हैं।

सुरक्षा

सेल एवं आरआईएनएल दोनों द्वारा इस उद्देश्य के लिए बजट के पर्याप्त उपयोग के बावजूद, 2008–09 तथा 2009–10 के दौरान गम्भीर दुर्घटनाओं की संख्या बढ़नी शुरू हो गई।

इन कम्पनियों ने अपर्याप्त गृह—व्यवस्था तथा सुरक्षा उपस्कर के कारण उनके द्वारा नियत 'जीरो दुर्घटनाओं' का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया।

यद्यपि सेल एवं आरआईएनएल के उनके संयंत्रों पर व्यावसायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, तथापि ये कम्पनियां कर्मचारियों की आवधिक चिकित्सा जांच (हर 12 महीने में एक बार) के नियम का पालन नहीं कर रही थी। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य—जांच के लिए आने वाले कर्मचारियों की प्रतिशतता बहुत कम थी।

सामाजिक विकास

सेल एवं आरआईएनएल दोनों सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों, चिकित्सा कैम्पों, व्यावसायिक प्रशिक्षण, खेल—कूद सुविधाओं, चिकित्सा सुविधाओं, स्टील टाउनशिप तथा पड़ोस के बच्चों के कम्पनी के स्कूल में नःशुल्क शिक्षा के माध्यम से सामाजिक विकास का कार्य कर रही थी। सेल ने आदर्श इस्पात गांवों (एमएसवी) के रूप में व्यापक विकास हेतु आठ राज्यों में 79 गांवों की ज़िम्मेवारी ली थी। आरआईएनएल ने एमएसवी के रूप में विकास हेतु अपनी परिधि में सात गांवों की ज़िम्मेवारी ली थी।

⁴ श्वसनीय स्थागित विविक्त पदार्थ

⁵ स्थगित विविक्त पदार्थ

⁶ बीएसपी एवं आरएसपी

ये कम्पनियां अपनी मांग के निर्धारण हेतु अपने संयंत्रों की परिधि में कोई आवश्यकता निर्धारण सर्वेक्षण नहीं कर रही थी तथा निधियों के दक्षतापूर्वक उपयोग हेतु सुनियोजित ढंग में सीएसआर कार्यकलापों की योजना नहीं बना रही थी। ये कम्पनियां समाज पर सीएसआर कार्यकलापों के प्रभाव का मूल्यांकन भी नहीं कर रही थी।

सिफारिशें

सीएसआर फ्रन्ट पर कम्पनियों के निष्पादन में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नलिखित हैं:

- कम्पनियों को सीओ₂ उत्सर्जन में कमी के लिए विशिष्ट लक्ष्य नियत करने चाहिए।
- दोनों कम्पनियों को खतरनाक अपशिष्ट के निपटान हेतु एक विश्वसनीय तथा वातावरण-अनुकूल तंत्र विकसित करना चाहिए।
- सेल को वनरोपण के लिए विशिष्ट लक्ष्य नियत और कार्यान्वित करने चाहिए।
- कर्मचारियों में विभिन्न उपायों जैसे प्रशिक्षण, होर्डिंग्स, फ़िल्में दिखाने आदि के माध्यम से सुरक्षा तथा चिकित्सा जांच के बारे में जागरूकता पैदा करनी चाहिए।
- कम्पनियों को एक विशेष क्षेत्र में सीएसआर कार्य करते समय आवश्यकता निर्धारण तथा प्रभाव निर्धारण की प्रणाली विकसित करनी चाहिए।

